भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

फ़ाइल क्रमांक **False Certificate/1/UP/2017/RU-I** दिनाँक 02/05/2018

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
   उत्तर प्रदेश सरकार,
   लखनऊ,
   उत्तर प्रदेश।

2. पुलिस महानिदेशक,
   उत्तर प्रदेश सरकार,
   उत्तर प्रदेश।

विषय: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलों के ब्राह्मण नायक और ब्राह्मण ओझा जाति के व्यक्तियों द्वारा गोंड जनजाति की उपजाति बनकर फर्जी तरीके से प्रमाणपत्र बनवाकर सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के संबंध मे श्री अरविंद कुमार गोंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फ़ाउंडेशन, नोएडा, उत्तर प्रदेश का अभ्यावेदन ।

महोदाय,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 12/04/2018 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री नन्द कुमार साय के समक्ष हुई सिटिंग के कार्यवृत की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको भेजी जा रही हैं। अनुरोध है की कार्यवृत पर राज्य सरकार द्वारा की गयी / की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को अविलम्ब भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक
दूरभाष: 011-24641640

प्रतिलिपि कार्यवृत की प्रति सहित:

1 श्री अरविंद कुमार गोंड,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फ़ाउंडेशन, नोएडा
पता: बी - 13/9, सैक्टर - 71,
नोएडा, उत्तर प्रदेश।

2 एनआईसीई, एनसीएसटी को आयोग की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. False Certificate/1/UP/2017/RU-I

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलों के ब्राह्मण नायक और ब्राह्मण ओझा जाति के व्यक्तियों द्वारा गोंड जनजाति की उपजाति बनकर फर्जी तरीके से प्रमाणपत्र बनवाकर सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के संबंध मे श्री अरविंद कुमार गोंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फ़ाउंडेशन, नोएडा, उत्तर प्रदेश के अभ्यावेदन पर दिनांक 12/04/2018 को आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री नन्द कुमार साय की अध्यक्षता में हुई बैठक का कार्यवृत।

बैठक मे भाग लेने वालों की सूची --- अनुबंध 'क' पर।

श्री अरविन्द कुमार गोंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फाउंडेशन, नोएडा, उत्तर प्रदेश ने अभ्यावेदन दिनांक 23/03/2017 आयोग को प्रस्तुत किया जिसमे उन्होने बताया की उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महारजगंज, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलों के ब्राह्मण नायक व ब्राह्मण ओझा जाति के व्यक्तियों द्वारा गोंड जनजाति के फ़र्ज़ी प्रमाणपत्र बनवाकर सरकारी नौकरियाँ कर रहे हैं। श्री गोंड ने अभ्यावेदन में बताया हैं कि सन 2003 के बाद ब्राह्मण नायक व ब्राह्मण ओझा जाति के लोग गोंड जाति की उप जाति बन कर फ़र्ज़ी तरीके से जनजाति प्रमाणपत्र बनवाकर हज़ारों की संख्याओ मे सरकारी नौकरिया प्राप्त कर ली हैं जिससे अनुसूचित जनजाति के लोगो का सवैंधानिक अधिकार छिन रहा हैं।

इस प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही एवं रिपोर्ट हेतु सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की और से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार तथा आयोग के माननीय अध्यक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को अर्ध शासकीय पत्र क्रमशः दिनांक 13/04/2017 एवं 24/05/2017 भेजे गए।

मामले मे उत्तर प्रदेश सरकार से आयोग को कोई उत्तर / जानकारी प्राप्त नहीं हुई अतः आयोग के माननीय अध्यक्ष ने प्रकरण पर सुनवाई हेतु दिनांक 21/08/2017 को अपराह्न 2:30 बजे मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बैठक निश्चित की। उक्तानुसार मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को सिटींग नोटिस दिनांक 01/08/2017 को जारी किया गया।

मामले मे श्री मनोज सिंह, प्रमुख सचिव एवं श्री केदारनाथ, विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार उक्त दिनांक को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। अभ्यावेदक श्री अरविंद कुमार गोंड भी उपस्थित रहे। मामले पर विस्तृत चर्चा हुई।

चर्चा दौरान माननीय अध्यक्ष ने अभ्यावेदनकर्ता को प्रकरण स्पष्ट करने को कहा जिस पर अभ्यावेदक ने आयोग को अवगत कराया की उत्तर प्रदेश के 13 जिलों मे गोंड जनजाति निवास करती हैं जिसकी उप जाति नायक और ओझा हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, मऊ और बलिया इत्यादि में ब्राह्मण नायक और ब्राह्मण ओझा जाति निवास करती हैं उक्त जाति के लोगों ने वर्ष 2003 से फर्जी जाति

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी नौकरियाँ प्राप्त कर ली हैं। इसी संबंध में अभ्यावेदक ने बताया की आयोग द्वारा वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश शासन को फर्जी प्रमाणपत्रों को निरस्त करने का निर्देश दिया गया था जिस पर उत्तर प्रदेश शासन ने लगभग 4300 फर्जी प्रमाणपत्र निरस्त किए हैं। चर्चा के दौरान अभ्यावेदक ने उक्त फर्जी प्रमाणपत्रों को गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, देवरिया जिलों मे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त करने के आदेशों का भी हवाला दिया।

प्रकरण पर माननीय अध्यक्ष ने प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जिस पर प्रमुख सचिव ने आयोग को प्रस्तुत किया की उत्तर प्रदेश शासन उक्त प्रकरण पर कार्यवाही के लिए सजग हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा फर्जी जाति प्रमाणपत्र जारी कराने वालों की तहतीकात की जा रही हैं। इस संबंध में जाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हुए हैं। प्रमुख सचिव ने माननीय अध्यक्ष को अवगत कराया की जैसे ही फर्जी प्रमाणपत्र धारकों की शिकायत प्राप्त होती हैं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तुरंत कार्यवाही के निर्देश दे दिये जाते हैं। प्रमुख सचिव ने आयोग को सूचित किया की उक्त संबंधित मामलों पर राज्यस्तरीय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र सत्यापन छानबीन समिति भी कार्यवाही हेतु सतर्क हैं। उन्होनें सूचित किया कि ब्राह्मण नायक एवं ब्राह्मण ओझा जाति के कुछ लोगों ने न्यायलय से स्टे ऑर्डर प्राप्त कर रखा हैं।

प्रमुख सचिव ने आश्वासन दिया की उत्तर प्रदेश के कथित जिलों मे ब्राह्मण नायक एवं ब्राह्मण ओझा जाति के व्यक्तियों द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र बनवाने तथा सरकारी लाभ प्राप्त करने के मामलों की गंभीरता से जांच कराएंगे।

प्रकरण पर चर्चा उपरांत आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दी जाती हैं कि : -

- इस मामले मे ब्राह्मण नायक एवं ब्राह्मण ओझा जाति के लोगों द्वारा न्यायलय से लिए गए स्टे ऑर्डर को खारिज़ कराया जाये।
- इस मामले मे जारी सभी अनुसूचित जनजाति के फर्जी जाति प्रमाणपत्र निरस्त किए जाये।
- फर्जी प्रमाणपत्र धारकों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज़ कारवाई जाये।
- फर्जी प्रमाणपत्र धारकों को सरकारी पदों से पदच्युत किया जाये।
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले मे एक विस्तृत पत्र जनजातिय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को लिखा जाये जिसमे संवैधानिक आदेश 2002 संदर्भित किया जाये।
- मामलें में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्यवाई कर, अनुपालन रिपोर्ट आयोग को अविलम्ब प्रस्तुत की जाये।

प्रकरण मे दिनाँक 21/08/2017 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई जवाब / अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर आयोग के माननीय अध्यक्ष के द्वारा मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ चर्चा हेतु दिनाँक 23/02/2018 तत्पश्चात दिनांक 14/03/2018 को आयोग मे सिटिंग रखी गयी किन्तु उक्त सिटिंग में मुख्य सचिव उपस्थित नहीं हुए। पुलिस महानिदेशक की तरफ से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री जी. एल. मीना उपस्थित हुए।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अतः माननीय अध्यक्ष द्वारा ने दिनाँक 12/04/2018 को 3 बजे पुनः सिटिंग रखी गयी जिसके लिए मुख्य सचिव को समन भेजकर बुलाने का आदेश दिया तदनुसार मुख्य सचिव को समन एवं पुलिस महानिदेशक को सिटिंग नोटिस जारी किया गया।

चर्चा:-

प्रकरण मे चर्चा हेतु दिनाँक 12/04/2018 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की और से श्री मनोज सिंह, प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग तथा पुलिस महानिदेशक की तरफ से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री जी. एल. मीना आयोग मे उपस्थित हुए। अभ्यावेदक श्री अरविंद कुमार गोंड भी उक्त सिटिंग में उपस्थित हुए। मामले मे विस्तृत चर्चा की गयी। अभ्यावेदक श्री अरविंद कुमार गोंड ने आयोग को सूचित किया की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र धारको के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाई नही की जा रही हैं। उसने यह भी बताया की उत्तर प्रदेश में अभी भी चिकित्सा एवं प्रोद्योगिकी क्षेत्र में शिक्षा एवं नौकरी पाने हेतु फर्जी अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र धारक सम्मलित हैं।

माननीय अध्यक्ष ने प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से प्रकरण में स्थिति स्पष्ट करने को कहा जिस पर प्रमुख सचिव ने आयोग को निम्नानुसार अवगत कराया: -

1. **महाराजगंज जनपद**: महाराजगंज जनपद में ब्राह्मण नायक एवं ब्राह्मण औझा जाति के कुल 259 व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी किए गए थे जिनको सभी को निरस्त कर दिया गया हैं। किन्तु निरस्त जाति प्रमाणपत्र धारकों के विरूद्ध कोई एफ आई आर दर्ज नही करायी गयी हैं। महाराजगंज जनपद में फर्जी प्रमाणपत्रों के विरूद्ध नायक जाति के कई समूहों द्वारा माननीय उच्च न्यायलय लखनऊ बेंच में कई रिट याचिकाए दायर की गयी हैं जिनमें रिट संख्या 8666 एम बी /2014 में स्थगन आदेश पारित किया गया हैं। महाराजगंज जनपद में एक प्रकरण में फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने का पाया गया हैं जिसकी सुनवाई माननीय उच्च नयायलाय में विचारधीन हैं।

2. **गौरखपुर जनपद:** गौरखपुर जनपद में नायक समुदाय के 3413 व्यक्तियों को गोंड अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाणपत्र जारी किए गए थे जिनको वर्ष 2014 में जिला स्क्रूटिनी कमेटी द्वारा निरस्त किया गया। निरस्त जाति प्रमाणपत्र धारकों के विरूद्ध कोई एफ आई आर दर्ज नही करायी गयी हैं। निरस्त जाति प्रमाणपत्र धारको द्वारा माननीय न्यायलय में कई रिट याचिकाए स्थगन आदेश प्राप्त करने हेतु दायर की गयी हैं। जनपद स्तर से स्थगन वैकेट कराने हेतु कार्यवाई की जा चुकी हैं। जनपद गौरखपुर में छः प्रकरण अवैध जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के पाये गए, स्क्रूटिनी कमीटि द्वारा उक्त प्रमाणपत्र निरस्त करने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा माननीय उच्च न्यायलय ने याचिकाए दायर की हुई हैं।

3. **देवरिया जनपद:** देवरिया जनपद में 302 व्यक्तियों को फर्जी अभिलेखों के आधार पर अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी किया गया हैं। जिनको निरस्त भी किया जा चुका हैं। इनमे से तहसील देवरिया सदर के 96 एवं तहसील रूद्रपुर के फर्जी प्रमाणपत्र धारकों के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा एफ आई आर दर्ज करायी जा चुकी हैं। इस संबंध में अभी तक सेवा समाप्ति के विरुद्ध कोई स्थगन आदेश *संज्ञान* में नहीं हैं। जनपद की तहसील देवरिया सदर के 7 एवं तहसील रुद्रपुर के 36, कुल 43 फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं जिनमे से 16 के विरुद्ध नौकरी से बर्खास्त करने हेतु संबंध विभाग को आदेशित कर दिया गया हैं। शेष के बारे में कार्यवाई कराई जा रही हैं।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. **बस्ती जनपद:** ब्राह्मण नायको को अनुसूचित जनजाति के कुल 36 प्रमाणपत्र जारी हुए थे जिन्हे जिला स्तरीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया हैं। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में माननीय न्यायलय में रिट याचिका योजित होने के कारण कोई विधिक कार्यवाई नही की गयी हैं। निरस्त किए गए 36 प्रमाणपत्र धारको द्वारा माननीय उच्च न्यायलय, इलाहबाद / लखनऊ बेंच में दायर रिट याचिका पर पारित आदेश दिनाँक 12/09/2014 द्वारा सत्यापन समिति की रिपोर्ट को निष्प्रभावी कर दिया हैं। स्थगन आदेश वेकेट कराने हेतु संबन्धित को निर्देशित कर दिया गया हैं।

5. **आजमगढ़ जनपद:** जनपद में 14 अभ्यार्थियो को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी किया गया था। उन सभी जाति प्रमाणपत्रों को तत्काल जब्त किए जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया। फर्जी प्रमाणपत्र धारको के विरुद्ध विधिक कार्यवाई हेतु निर्देशित किया गया हैं। तथा इस संबंध में शासकीय कार्यो मे लापरवाही बरते जाने पर संबन्धित लेखपाल एवं प्रभारी राजस्व निरीक्षक, तहसील सगड़ी (आजमगढ़) को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी हैं। निरस्त किए गए फर्जी प्रमाणपत्रों के विरुद्ध किसी भी अभ्यार्थी द्वारा माननीय न्यायलय से कोई स्थगन आदेश प्राप्त नही किया गया हैं। निरस्त किए गए इन फर्जी प्रमाणपत्र धारको द्वारा सरकारी नौकरी नही की जा रही हैं।

6. **मऊ जनपद:** जनपद में कुल 417 व्यक्तियों को नायक अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र तहसील घोसी से जारी किया गया था। सभी प्रमाणपत्रों को तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दिया गया। किसी भी प्रमाणपत्र धारक के विरुद्ध कोई एफ आई आर दर्ज नही कराई गयी। किसी भी व्यक्ति द्वारा माननीय उच्च न्यायलय से स्थगन आदेश प्राप्त करने की कोई सूचना नहीं हैं। उक्त निरस्त किए गए फर्जी प्रमाणपत्र धारको का सरकारी सेवा में होने की सूचना तहसील घोसी मे उपलब्ध नहीं है।

7. **बलिया जनपद:** जनपद मे ब्राह्मण औझा जाति के 2 व्यक्तियों के अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र जारी किया गया हैं जिनको निरस्त करने हेतु जिला जाति सत्यापन समिति के समक्ष सुनवाई प्रचलित हैं। इस संबंध में श्री अभिमन्यु औझा द्वारा फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पद पर भर्ती हुआ था जिसको दंड देने हेतु विभागीय कार्यवाई की जा रही हैं।

अनुशंसा:

अभ्यावेदकगण तथा प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग से सुनने के उपरांत आयोग ने पाया हैं की उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नायक एवं ब्राह्मण औझा जाति के व्यक्तियों द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन पर कार्यवाई की जा रही हैं। किन्तु उन पर ओर अभी कार्यवाई अनिवार्य हैं। अतः आयोग की अनुशंसा हैं की ब्राह्मण नायक एवं ब्राह्मण औझा जाति के लोगों द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर उनके खिलाफ कथित सातों जिलों / जनपदों में उनके विरुद्ध जाति प्रमाणपत्र निरस्त करने की कार्यवाई, उन पर एफ आई आर दर्ज करवाने की कार्यवाई तथा संबन्धित लोगों द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने पर, स्थगन आदेश को वेकेट करने की कार्यवाई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी तौर पर सुनिश्चित की जाए।

आयोग यह भी सलाह देता हैं की यदि उत्तर प्रदेश सरकार के ध्यान में किसी भी तरीके से कोई मामला फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र धारक का आता हैं तो तुरंत उस पर कार्यवाई की जाए।

17.4.18

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

F. No. **False Certificate/1/UP/2017/RU-I** Date: **12/04/2018**
SPG/1/2016/STGUP/SEOTH/RU-II (RU-I)

Annexure-A

List of participants

क्रम संख्या	नाम और पद
I	**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
1.	श्री नन्द कुमार साय माननीय अध्यक्ष
2.	कुमारी अनुसूईया ऊईके माननीय उपाध्यक्ष
3.	श्री हर्षदभाई वसावा माननीय सदस्य
4.	श्री राघव चंद्रा सचिव
5.	श्री शिशिर कुमार रथ संयुक्त सचिव
6.	श्री पी टी जेम्सकुट्टी उप सचिव
7.	श्री राजेश्वर कुमार सहायक निदेशक
8.	श्री एच आर मीना वरिष्ठ अन्वेषक
II	**मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार**
1.	श्री मनोज सिंह प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग
III	**पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार**
1.	गेपाल लाल मीना, ए.डी.जी.